

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बहराइच।

(नजारत अनुभाग)

ढेका सूचना

जनपद न्यायालय, बहराइच परिसर में स्थित कैटीन नं० 1 व कैटीन नं० 2 तथा फल के ढेले के स्थान के ढेके के सम्बन्ध में।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जनपद न्यायालय, बहराइच के परिसर में निम्नलिखित स्थलों पर कैटीन इत्यादि संचालित करने का ढेका नीचे अंकित शर्तों के अनुसार दिनांक 24.03.2026 को समय 4.30 बजे सांय समिति की उपस्थिति में जनपद न्यायालय में मीटिंग हाल में होगा। बोली में भाग लेने वाले व्यक्तियों को आइटम के अनुसार अधोलिखित जमानत की धनराशि बोली बोलने से पहले न्यायालय के कैशियर के पास उसी दिन दोपहर 12.00 बजे तक जमा करनी होगी। ढेके के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का निर्णय तथा बोली को स्वीकार किये जाने अथवा निरस्त किये जाने का सम्पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, बहराइच महोदय के अधीन सुरक्षित होगा।

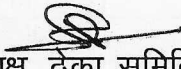
क्र० सं०	आइटम	धरोहर धनराशि (रु० में)	न्यूनतम बोली धनराशि (रु० में)
1-	कैटीन नं० 1 न्यायालय परिसर में लाकअप के बगल में।	19500 / -	194205 / -
2-	कैटीन नं० 2 न्यायालय परिसर में दक्षिण की तरफ बार रूम के बगल में।	19500 / -	194205 / -
3-	फल के ढेले हेतु स्थान	4250 / -	42350 / -

नियम व शर्त:-

- 1- दुकानें, 'जहाँ है जैसी है' की स्थिति में दिनांक 01.04.2026 से दिनांक 31.03.2027 तक उक्त कार्य हेतु अनुज्ञप्ति पर दी जायेगी।
- 2- बोली बोलने वाले व्यक्ति को अग्रिम जमानत राशि नकद जमा करनी होगी, जो बोली समाप्त होने पर, असफल व्यक्ति को नियमानुसार वापिस कर दी जायेगी।
- 3- ढेके के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी नजारत अनुभाग से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।
- 4- स्थानों को बोली वाले दिन से पूर्व किसी भी कार्य-दिवस में नजारत अनुभाग से सम्पर्क कर देखा जा सकता है तथा बोली बोलने वाले व्यक्ति का यह स्वयं उत्तरदायित्व होगा कि वह बोली लगाने से पूर्व उक्त स्थानों का पूर्ण निरीक्षण कर ले।
- 5- जिस बोलीदाता की अन्तिम बोली स्वीकार की जायेगी, उसे बोली की 25 प्रतिशत धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी, यदि बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि तुरन्त जमा नहीं की जाती है तो बोली स्वतः निरस्त समझी जायेगी व जमानत की अग्रिम धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 6- शेष 75 प्रतिशत धनराशि सफल व्यक्ति को नीलामी की दिनांक से तीन माह की अवधि के अन्दर जमा करनी होगी, अन्यथा बोली निरस्त करके अग्रिम जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 7- बोली में सफल व्यक्ति दुकान की भौतिक स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई स्थायी परिवर्तन नहीं करेगा और न ही दुकान को कोई नुकसान पहुचायेगा।
- 8- दुकानों का संचालन सुबह 9.00 बजे से शाम 6.00 तक ही किया जा सकेगा।

- 9— दुकान में प्रयोग की जाने वाली विद्युत तथा अन्य शुल्क यदि कोई हो तो उसका भुगतान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अलग से किया जायेगा।
- 10— बोली में सफल व्यक्ति अनुज्ञप्ति पर दुकान प्राप्त करने के पश्चात् किसी अन्य व्यक्ति को दुकान हस्तांतरित नहीं कर सकता है।
- 11— जनपद न्यायालय प्रशासन को बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी कार्यदिवस में कार्यावधि के दौरान किसी भी दुकान के स्थल का भौतिक निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
- 12— यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपरोक्त निर्धारित शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो जनपद न्यायाधीश को अनुज्ञप्ति अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा।
- 13— समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दे, अन्तिम बोली की स्वीकृति जनपद न्यायाधीश द्वारा स्वीकृति के अधीन होगी।
- 14— ठेके के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही का न्यायिक क्षेत्राधिकार जनपद बहराइच होगा।
- 15— बोली के ठीक पूर्व समिति द्वारा अन्य नियम व शर्तों यदि कोई हो, की जानकारी दी जायेगी।
- 16— उच्चतम बोली की धनराशि पर निर्धारित स्टाम्प शुल्क बोलीकर्ता द्वारा अलग से देय होगा।

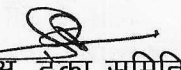
दिनांक : मार्च 13, 2026.


 अध्यक्ष, ठेका समिति /
 विशेष न्यायाधीश (एस0सी0 / एस0टी0 ऐक्ट),
 बहराइच

प्रतिलिपि सार्वजनिक सूचना हेतु निम्नलिखित के नोटस बोर्ड पर चस्पा की जाए:

1. कार्यालय जिला जज, बहराइच।
2. कार्यालय जिलाधिकारी, बहराइच।
3. कार्यालय नगर पालिका परिषद, बहराइच।
4. कार्यालय जिला परिषद, बहराइच।
5. कार्यालय लोक निर्माण विभाग, बहराइच।
6. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ।
7. अध्यक्ष/महामंत्री, जिला अधिवक्ता संघ, बहराइच।
8. नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, बहराइच।
9. सिस्टम आफिसर को वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु।
10. रेलवे स्टेशन नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
11. बस स्टेशन नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
12. स्थानीय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु जिला सूचना अधिकारी, बहराइच को प्रेषित।

दिनांक : मार्च 13, 2026.


 अध्यक्ष, ठेका समिति /
 विशेष न्यायाधीश (एस0सी0 / एस0टी0 ऐक्ट),
 बहराइच